घर में घुसकर युवक ने मां-बेटे की कुल्हाडी से की हत्या

लसाडिया क्षेत्र के टटाकिया गांव की घटना, पडोसी ने घर में घूसकर किया हमला

भीण्डर, (निसं)। उदयपुर जिले के लसाडिया क्षेत्र के टटाकिया गांव में एक पडोसी ने मां-बेटे की कुल्हाडी मारकर हत्या कर दी। ये घटना गुरूवार अलसुबह की हैं जब पडोसी घर में घुसकर कुल्हाडी से दोनों पर जानलेवा हमला किया। हत्या के पीछे कारण स्पष्ट नहीं हो सके, लेकिन हत्या का आरोपी सनकी प्रवृति का बताया जा रहा है।

पुलिस के अनुसार टटाकिया गांव निवासी केसरी बाई मीणा (8०) और उसका पुत्र लोगरलाल (56) अपने घर में सो रहे थे। जिसमें केसरी बाई घर के आंगन में सो रही थी तो लोगरलाल कमरे में सो रहा था। अलसुबह 6 बजे पडोसी टटाकिया गांव निवासी मेघराज मीणा (22) घर मे घुस गया। उसने कुल्हाडी से केसरी बाई पर जानलेवा हमला कर दिया। नींद में केसरी बाई पर हुए हमले से बचने का मौका नहीं मिला और जोर से चिल्लाई, जिसकी आवाज सुनकर बेटा लोगर लाल आंगन में आया और बीच बचाव किया। इस दौरान आरोपी ने लोगर के सिर व गले पर वार उसे मौत के घाट उतार दिया।

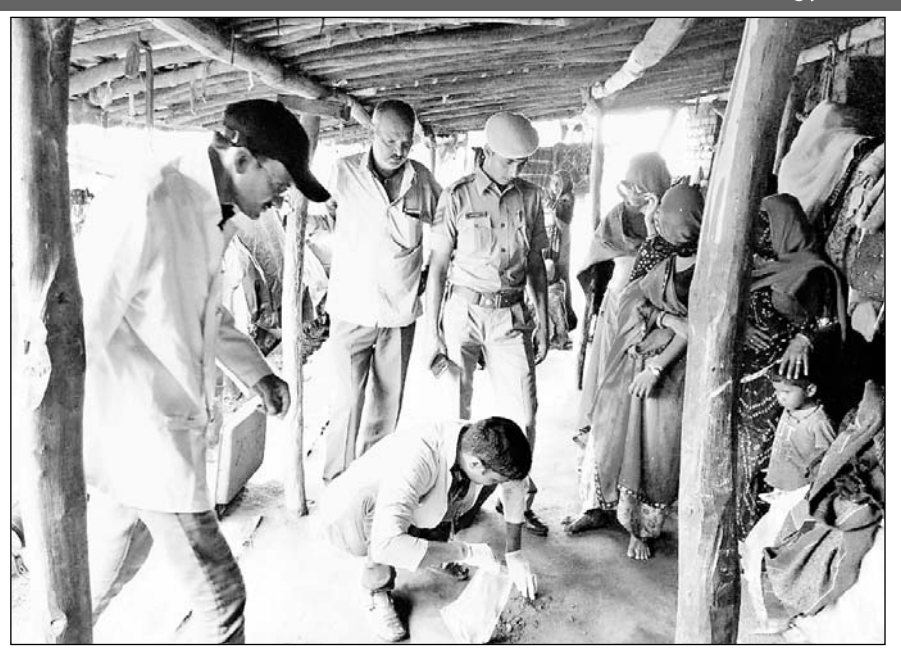

उदयपुर जिले के लसाडिया के टटाकिया गांव में मां-बेटे की हत्या के बाद जांच की करती टीम।

सूचना पर मौके पर पहुंची लसाडिया पुलिस ने दोनों शव को लसाडिया चिकित्सालय पहुंचाया। एएसपी मुकेश सांखला, सलूम्बर डीएसपी सुधा पालावत और फोरेंसिक टीम मौके पर पहुंची। पुलिस अधिकारियों ने मृतकों के परिजनों से बात की। वहीं पुलिस ने आरोपी मेघराज मीणा के तलाश में टीम गठित कर तलाशी शुरू कर दी। जिस पर सफलता मिलते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर दिया। थानाधिकारी विजेंद्र सिंह ने बताया कि हत्या के कारणों का पता जांच में चलेगा। शवों के पोस्टमार्टम करवा कर परिजनों को सुपुर्द कर अंतिम संस्कार करवाया। मृतक लोगर लाल के तीन बेटे और एक बेटी है। वहीं वृद्धा केसरी के चार बेटे और 3 बेटियां है। क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों ने परिवार की आर्थिक स्थिति कमजोर होने से परिवार को आर्थिक सहायता देने की मांग की। इस दौरान टटाकिया सरपंच सुन्दर देवी मीणा, चंदा जी का गुडा सरपंच विरम लाल मीणा, पंचायत समिति सदस्य रामलाल मीणा, टटाकिया पुर्व सरपंच बाबु लाल मीणा सहित सैकडों ग्रामीण मौजूद थे।

- नींद में केसरी बाई पर हुए हमले से बचने का मौका नहीं मिल पाया

खान के मलबे में दबने से दो की मौत

चावंडिया मार्ग पर स्थित ब्राउन खान का रास्ता मार्बल खदान में गिरा

मार्बल खदान में गिरा मलबा जिसमें मजदूर दब गए।

मकराना, (निसं)। मकराना में चावंडिया मार्ग पर स्थित ब्राउन खान का रास्ता मार्बल खदान में गिरा। रास्ते से गुजर रहे ट्रैक्टर-ट्रॉली सहित चालक व चालक का सहायक मजदूर भी खदान में मलबे के साथ गिर गए। दोनों की मलबे में दबने से मौत हो गई। शवों को बाहर निकालने का पुलिस प्रयास कर रही है।

मकराना शहर के कालानाडा से चावंडिया ग्राम की ओर जाने वाले मार्ग का रास्ता गुरुवार को अचानक ब्राउन मार्बल खदान गिर गया। इस दौरान रास्ते से गुजर रहे ट्रैक्टर ट्रॉली सहित ट्रैक्टर का चालक व उसका सहायक मजदूर भी मार्बल खदान में मलबे के साथ ही गिर गए। जिसकी वजह से दोनों की मौके पर ही मौत हो गई। घटना की सूचना मिलते ही मकराना थाना अधिकारी प्रमोद कुमार शर्मा मय पुलिस जाप्ते के मौके पर पहुंचे। जिन्होंने स्थानीय मजदूरों की सहायता से पास की एक मार्बल खदान की क्रेन को काम में लेते हुए शवों को निकालना शुरू कर दिया। हादसे की जानकारी मिलते ही मौके पर मजदूरों व ग्रामीणों की भारी भीड भी जमा हो गई।

प्राप्त जानकारी अनुसार बिदियाद के नाथोलाई की ढाणी निवासी 30 वर्षीय रामदेव पुत्र भंवराराम लौहार व उसका सहायक मजदूर उमाराम निवासी बिदियाद जो गुरुवार को ट्रैक्टर ट्रॉली में मार्बल खंडों को लोड कर चावंडिया मार्ग से गुजर रहे थे जो खान का रास्ता गिरने से मलबे के साथ खान में गिर गए। हादसे में ट्रैक्टर चालक व उसके सहायक मजदूर की मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस भी मौके पर पहुंच गई। जिसने रास्ते को बंद करवाकर जेसीबी मशीन के सहारे सडक किनारे अधर में झूल रही दीवार और मलबे को हटवाया। वही दोपहर लगभग 1 बजे मकराना थाना अधिकारी प्रमोद कुमार शर्मा भी मय पुलिस जाब्ते के मौके पर पहुंचे। उन्होंने स्थानीय मजदूरों की सहायता से पास की एक मार्बल खदान पर लगी क्रेन को काम में लेते हुए दोनों शवों को निकलवाने हेतु रेस्क्यू शुरू करवा दिया हैं। फिलहाल मकराना पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है।

- अन्य खदान की क्रेन को काम में लेकर शवों को निकाला

टोडारायसिंह पालिका अध्यक्ष भरत लाल सैनी निलम्बित

मालपुरा, (निसं)। स्वायत शासन विभाग निदेशक एवं संयुक्त सचिव हृदेश कुमार शर्मा ने गुरूवार को एक आदेश जारी कर टोडारायसिंह नगरपालिका से भाजपा के चेयरमैन भरत लाल सैनी को पालिका अध्यक्ष व पार्षद पद से निलम्बित किये जाने के आदेश जारी किये हैं। जारी आदेशों में निदेशक ने अवगत करवाया कि बीते दिनों 18 जुलाई को एसीबी टोंक टीम द्वारा पालिका अध्यक्ष भरत लाल सैनी व नगरपालिका में कार्यरत रैन बसेरा मॉनिटरिंग कार्मिक दिनेश कुमार सैनी को घूस की राशि के साथ रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया था। भरत लाल सैनी के विरूद्ध नगरपालिका अधिनियम 2009 की धारा 39 की उक्त धारा 1 के अन्तर्गत न्यायिक जांच करवाई जाने का निर्णय लिया गया है। ऐसे में भरत लाल सैनी के पालिका अध्यक्ष पद पर रहने से न्यायिक जांच प्रभवित किये जाने की सम्भावना के चलते पालिका अधिनियम 2009 की धारा 39 (6) के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार व स्वायत शासन विभाग द्वारा भरत लाल सैनी को पालिका अध्यक्ष व वार्ड पार्षद की सदस्यता से तत्काल निलम्बित किया गया है।

भरत लाल सैनी।

पानी के दबाव से क्षतिग्रस्त हुई परकोटे की दीवार

चौरु/उनियारा, (निसं)। उनियारा उपखण्ड में विगत दिनों हुई तेज बरसात तथा गलवा बांध की चादर के लगातार जारी रहने से उनियारा के चारों तरफ पानी ही पानी नजर आ रहा है । कस्बे के टोंक सवाई माधोपुर रोड पर विगत तीन-चार दिनों से पानी भरा हुआ है तथा परकोटे के चारों तरफ भी पानी भरा हुआ। बुधवार को परकोटे का एक हिस्सा गिर गया। जिससे सात आठ विद्युत पोल भी क्षतिग्रस्त हो गए।

गनीमत रही कि उस वक्त विद्युत सप्लाई बंद थी तथा आमजनों की आवाजाही बंद होने से बड़ा हादसा होने से टल गया। परकोटे की दीवार का मलबा सडक पर आ गया। सूचना मिलते ही प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचे और लोगों को परकोटे की दीवार के पास नहीं जाने की हिदायत दी। उनियारा गलवा बांध की चादर का लगातार जारी रहने तथा परकोटे के चारों तरफ पानी के बने रहने से खातोली गेट के पास के मकानों में दरारें आना शुरू हो गया।

- दीवार से विद्युत पोल ढहे, कटौती होने से बड़ा हादसा टला
- चारों तरफ पानी होने से खातोली गेट के पास के मकानों में आई दरारें

उनियारा के परकोटे का ढहा हुआ हिस्सा।

संभागीय आयुक्त सहित तीन को गिरफ्तार करने की मांग, प्रदर्शन किया

उदयपुर, (कासं)। जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग में फर्नीचर आपूर्ति मामले में हुए कथित घोटाले को लेकर एक सामाजिक कार्यकर्ता यूनुस चौपदार ने गुरूवार को यहां संभागीय आयुक्त कार्यालय के बाहर प्रदर्शन करते हुए संभागीय आयुक्त सहित तीन प्रशासनिक अधिकारियों की गिरफ्तारी की मांग की है। उल्लेखनीय है कि जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग द्वारा राज्य में संचालित 209 राजकीय छात्रावासों के लिए फर्नीचर आपूर्ति करने हेतु निविदा आमंत्रित की गई थी। उक्त निविदा के तहत विभाग ने अपनी मनचाही फर्म को 69 प्रतिशत अधिक दर 10 करोड़ का टेण्डर जारी किया था। निविदा जारी होने के बाद दर में वृद्धि हुई तो गुपचुप तरीके से सामान की मात्रा में कमी कर दी गई। मीडिया में यह मामला उजागर होने के बाद अतिरिक्त आयुक्त डॉ. वृद्धिचन्द गर्ग द्वारा गत 16 मार्च को जारी एक आदेश के तहत जून माह में ब्लेक लिस्टेड कर दिया गया। इस संबंध में मुख्यमंत्री को शिकायत की गई तो उन्हें झूठी जांच रिपोर्ट भेज कर मुख्यमंत्री कार्यालय को भी भ्रमित किया गया।

इधर, जयपुर स्थित कौशल विकास एवं प्रशिक्षण केन्द्र के लिए फर्नीचर खरीद का 1.90 करोड़ रूपये का टेण्डर 51 प्रतिशत अधिक यानी 2.87 करोड़ में देने की तैयारी

संभागीय आयुक्त कार्यालय के बाहर टीएडी विभाग टेण्डर घोटाले की जांच को लेकर सामाजिक कार्यकर्ता युनुस चौपदार के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने 'सत्याग्रह' किया।

की गई वह भी शिकायत पर निरस्त हो गया तो विभाग ने इसे तोड़कर 16 हिस्सों में बांट दिया। इसके लिए 16 कम्पनियों ने आवेदन किए थे लेकिन इस बार नियमों की आड़ में ज्यादातर फर्मों को बाहर कर दिया गया। केवल तीन फर्मो को वर्कऑर्डर दिए जिसमें सुकमाल ट्रेडर्स नामक वह फर्म भी शामिल है जिसे पूर्व में ब्लेक लिस्टेड किया जा चुका था। यही नहीं काली सूची में शामिल इस फर्म को 16 में से 7 कार्यों का वर्कऑर्डर जारी कर दिया गया। इसकी शिकायत लोकायुक्त को करने पर लोकायुक्त ने जुलाई माह के मध्य में विभाग को इसकी वास्तविक रिपोर्ट एक माही की अवधि में पेश करने का आदेश दिया गया। अवधि उपरांत भी वह रिपोर्ट लम्बित है।

चौपदार ने बताया कि एक फर्म को आर्थिक लाभ पहुंचाने के लिए सभी रास्तों को अपनाया गया। यह सब बिना उच्च अधिकारी की मिलीभगत के संभव नहीं है। अधिकारियों ने अपने आर्थिक लाभ के लिए आदिवासी अंचल के बच्चों के लिए घटिया सामग्री खरीद कर उनके साथ खिलवाड़ किया है वहीं सरकारी राजस्व को भी चूना लगाया है। उन्होंने कहा कि 10 करोड़ के टेण्डर में 5 करोड़ का घपला हुआ है। चौपदार ने इस मामले को दबाने के आरोप जड़ते हुए संभागीय आयुक्त राजेन्द्र भट्ट, अति. आयुक्त डॉ. वृद्धिचन्द गर्ग तथा स्वच्छ परियोजना प्रबंधक राजेश जैन को गिरफ्तार करने की मांग की है।

- सामाजिक कार्यकर्ताओं ने 'सत्याग्रह' के नाम पर किया प्रदर्शन

बदमाशों ने फायर कर ज्वैलर्स को लूटा

चाकसू, (निसं)। उपखंड क्षेत्र के शिवदासपुरा थाना अंतर्गत बुधवार रात को प्रताप नगर स्थित अपनी दुकान से पदमपुरा रोड होते हुए अपने घर जा रहे ज्वैलर्स को बीच रास्ते में तीन से चार नकाबपोश बदमाशों ने देसी कट्टे से फायरिंग कर लूट लिया।

शिवदासपुरा हरिपाल सिंह ने बताया कि आकोडिया गांव निवासी ज्वैलरी व्यापारी रामनारायण शर्मा अपने भतीजे एवं एक अन्य व्यक्ति के साथ सोने चांदी की ज्वैलरी एवं नकदी के साथ बुधवार रात को करीब 9 बजे सांगानेर के प्रतापनगर से अपनी दुकान से घर जा रहे थे। इस दौरान पदमपुरा रोड के रायपुरिया मोड पर अज्ञात तीन बाइक सवार बदमाश व्यापारी की बाइक के आगे बाइक लगाकर, देशी कट्टे से फायरिंग कर मारपीट करके जेवरात से भरा बैग एवं नगदी छीन कर फरार हो गए।

पीड़ित व्यापारी रामनारायण ने बताया कि चोरी का डर होने के कारण रोजाना रात सोने और चांदी का पूरा माल घर ले जाते हैं। बैग नहीं छोड़ने पर बदमाश ने मेरी ओर फायर किया गनीमत रही कि गोली मुझे नहीं लगी और कुर्ते में छेद करती हुई गोली आर -पार हो गई। बदमाशों ने बैग छीन लिया और अंधेरे में ओझल हो गए। जब देर रात पुलिस को सूचना दी गई तो पुलिस मौके पर पहुंची। बैग में 16 हजार नगद, 14 किलो चांदी और करीब 140 ग्राम सोना बताया। सोने और चांदी का मूल्य करीब 13-14 लाख रुपए बताया जा रहा है।

- ज्वैलर्स लगभग 14 लाख के जेवर एवं 16 हजार नकद लेकर घर जा रहा था

'जन्मतिथि में विसंगति पेंशन रोकने का आधार नहीं'

जोधपुर, (कासं)। राजस्थान हाईकोर्ट ने एक फैसले में दिवंगत कार्मिक के सर्विस रिकॉर्ड में दर्ज जन्मतिथि में विसंगति के आधार पर उसकी पत्नी को पारिवारिक पेंशन से वंचित करने को अनुचित माना है। जस्टिस रेखा बोराणा ने दिवंगत सेवानिवृत्त पुलिस कांस्टेबल की पत्नी की रिट याचिका मंजूर करते हुए पुलिस और पेंशन विभाग को दो महीने में याचिकाकर्ता को पारिवारिक पेंशन जारी करने के आदेश दिए हैं।

नागौर जिले के डीडवाना तहसील के छोटी छापरी गांव निवासी सुबानी बानो की ओर से कोर्ट को बताया कि याचिकाकर्ता के पति समन खान ने वर्ष 1964 से 1975 तक भारतीय सेना और फिर बाद में वर्ष 1976 से 1999 तक राजस्थान पुलिस में पाली जिले में कांस्टेबल के पद पर सेवाएं देकर सेवानिवृत्ति ली थी। वर्ष 1999 में विभाग ने उनके पेंशन प्रकरण में यह आक्षेप लगाते हुए केवल प्रोविजनल पेंशन स्वीकृति की कि उनके भारतीय सेना के सर्विस रिकॉर्ड और राजस्थान पुलिस के सर्विस रिकॉर्ड में दर्ज जन्मतिथि में विसंगति है।

याचिकाकर्ता के पति को वर्ष 1999 से 2015 यानी उनका देहांत होने तक प्रोविजनल पेंशन ही मिलती रही। पति का देहांत होने पर याचिकाकर्ता पत्नी ने पारिवारिक पेंशन के लिए आवेदन किया तो विभाग ने पुराने लम्बित आक्षेप के आधार पर पेंशन जारी नहीं की। तीन साल तक पुलिस और पेंशन विभाग के चक्कर काटने के बाद वर्ष 2018 में उच्च न्यायालय में रिट याचिका दायर की गई। उन्होंने यह भी कहा कि शीर्ष न्यायालय सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने अहम न्यायिक दृष्टांत सुकुमारन बनाम केरल राज्य व अन्य के मामले के अभिनिर्धारित किया है कि किसी कर्मचारी को अनुचित तरीके से खासकर तकनीकी बारीकियों के आधार पर वंचित नहीं किया जा सकता।

सुनवाई के बाद जस्टिस बोराणा ने आदेश में कहा कि विभाग ने कार्मिक के सेवाकाल के दौरान जन्मतिथि की विसंगति दूर करने के सम्बन्ध में कोई कार्रवाई नहीं की। यहां तक कि सेवानिवृत्ति के बाद मृत्यु होने तक कार्मिक को पेंशन दी जाती रही है। इसलिए विभाग अब उसकी पत्नी को पारिवारिक पेंशन से वंचित नहीं कर सकता। पुलिस विभाग अपने सर्विस रिकॉर्ड में दर्ज जन्मतिथि के आधार पर दो माह की अवधि में सभी औपचारिकता पूरी करते हुए याचिकाकर्ता को एरियर सहित पेंशन जारी करे।

- दो माह में याचिका कर्ता को एरियर सहित पेंशन दें

बीसलपुर बांध @ 315.42 आरएलमीटर

टोंक, (निसं)। बीसलपुर बांध में लगातार पानी की आवक बनी हुई, परन्तु त्रिवेणी का गेज कम होने के कारण बांध में पानी की आवक धीमी होने से भराव क्षमता 315.50 आरएलमीटर को पार करने की स्थिति धीरे-धीरे आगे बढ़ रही है। बांध के जलग्रहण क्षेत्र में बारिश का दौर नहीं चलने के कारण बीसलपुर बांध के गेट 315.50 आरएलमीटर पानी की आवक होने के बाद ही खोले जाएंगे। बीसलपुर बांध का गेज शाम 6 बजे 315.42 आरएलमीटर पर पहुंचा।

- बीसलपुर बांध के गेट 315.50 आरएलमीटर पानी की आवक होने के बाद ही खोले जाएंगे

बीसलपुर बांध में पानी की आवक त्रिवेणी का गेज कम होने के कारण बुधवार को शाम 6 बजे 315.14 आरएलमीटर के बाद रात्रि 8 बजे 315.08, रात्रि 10 बजे 315.22, गुरुवार को सुबह 6 बजे 315.32, दोपहर 12 बजे 315.38, दोपहर 2 बजे 315.40 आरएलमीटर पहुंच गया। दोपहर 2 बजे त्रिवेणी 3.90 चल रही थी, शाम 4 बजे 315.41 हुआ और शाम 6 बजे बीसलपुर बांध का गेज 315.42 आरएलमीटर पर पहुंच गई। त्रिवेणी का गेज 3.90 मीटर चल रहा था।

गोविन्दगढ़ एसएचओ 6 लाख की रिश्वत लेते गिरफ्तार

धोखाधड़ी केस में मदद की एवज में मांगे 10 लाख

चौंमू/कालाडेरा, (निसं)। जयपुर ग्रामीण क्षेत्र के गोविन्दगढ़ थाने में जयपुर एसीबी ने बड़ी कार्यवाही करते हुए गोविन्दगढ़ थाने के एसएचओ हरिनारायण शर्मा को रिश्वत के मामले में गिरफ्तार किया है।

एसएचओ हरिनारायण शर्मा ने पीड़ित से धोखाधड़ी के मामले में मदद करने की एवज में 10 लाख रुपए रिश्वत मांगी थी। एसीबी के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक बजरंग सिंह शेखावत ने पूरी कार्यवाही को एसीबी के डीजीपी बीएल सोनी के निर्देशन में व उप महानिदेशक सवाई सिंह गोदारा के सुपर विजन में अंजाम दिया गया।

- बिचौलिया वकील सड़क पर रुपये फेंक मौके से हुआ फरार

अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक बजरंग सिंह ने बताया कि गोविन्दगढ़ थाने के एसएचओ हरिनारायण शर्मा ने धोखाधड़ी के मामले में परिवादी को निकालने के एवज में एक वकील विश्वनाथ शर्मा के जरिए 10 लाख रुपये में सौदा तय किया एक वकील ने 4 लाख रुपये लेकर बुधवार को एसएचओ हरिनारायण शर्मा को दे दिए थे और गुरुवार को 6 लाख रुपये लेकर थाने आ रहा था इस दौरान पीछे एसीबी आने की भनक लगने पर वकील विश्वनाथ शर्मा 6 लाख रुपये फेंक कर फरार हो गया। एसीबी ने 6 लाख रुपये बरामद कर लिए हैं फिलहाल एसीबी की टीम पूरे मामले में जांच कर रही है और फरार वकील विश्वनाथ शर्मा की तलाश कर रही है। एसीबी के अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस दिनेश एमएन के निर्देशन में आरोपी के निवास एवं अन्य ठिकानों की तलाशी जारी है एसीबी द्वारा मामले में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अंतर्गत प्रकरण दर्ज कर अग्रिम अनुसंधान किया जाएगा।

जयपुर एसीबी की टीम ने गोविन्दगढ़ एसएचओ को गिरफ्तार किया।

डीईओ प्रारंभिक दो दलालों के साथ रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार

बाड़मेर, (निसं)। ए.सी.बी. मुख्यालय के निर्देश पर जैसलमेर इकाई की ओर से जिले के चोहटन क्षेत्र में गुरुवार को कार्यवाही करते हुये जिला शिक्षा अधिकारी (प्रारंभिक) केसरदान रतनू को उसके दलाल जीवनदान चारण एवं आसुसिंह राजपुरोहित (प्राईवेट व्यक्ति) सहित परिवादी से पचास हजार रुपये रिश्वत राशि लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है।

भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के महानिदेशक भगवान लाल सोनी ने बताया कि ए.सी.बी. की जैसलमेर इकाई को परिवादी द्वारा शिकायत दी गई कि उसके निलम्बन काल के समस्त परिलाभ दिलवाने एवं विभागीय जांच में मदद करने की एवज में जिला शिक्षा अधिकारी (प्रारंभिक) जिला बाडमेर केसरदान रतनू द्वारा दो लाख रूपये की रिश्वत राशि मांग कर परेशान किया जा रहा है । जिस पर एसीबी जैसलमेर इकाई के पुलिस उप अधीक्षक अन्नराज के नेतृत्व में शिकायत का सत्यापन कर गुरुवार को उनकी टीम द्वारा बाडमेर में ट्रेप कार्यवाही करते हुये केसरदान रत्नू पुत्र मलदान चारण निवासी मेघवालों का पुराना बास , चौहटन, जिला बाड़मेर हाल जिला शिक्षा अधिकारी (प्रारंभिक) जिला बाड़मेर को उसके दलाल जीवनदान चारण पुत्र कृष्णदान निवासी ग्राम बींजासर तहसील धनाउ , जिला बाड़मेर एवं आसुसिंह पुत्र अमलेख सिंह राजपुरोहित निवासी ग्राम लंगेरा , तहसील व जिला बाड़मेर (दोनों प्राईवेट व्यक्ति) के माध्यम से परिवादी से पचास हजार रूपये रिश्वत लेते हुये रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया है। एसीबी के अतिरिक्त महानिदेशक दिनेश एम. एन. के निर्देशन में आरोपी के निवास एवं अन्य ठिकानों की तलाशी जारी है।

- निलम्बन काल के परिलाभ दिलवाने एवं विभागीय जांच में मदद करने की एवज में ली रिश्वत